International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 12-12-2022, Accepted: 27-12-2022, Published: 14-01-2023
Volume 9, Issue 1, 2023, Page No. 16-18

हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जाति में आर्थिक विकास

सतीश कुमार
पूर्व शोध छात्र, राजनीति विज्ञान, एस० एम० जे० एन० कालेज, हरिद्वार, उत्तराखंड, भारत

सारांश
आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि को विकास की प्रक्रिया माना जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय उपज बढ़ रही है तो इसका यह अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है। इसका परिणाम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का होगा अथवा नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि जनसंख्या वृद्धि की दर आर्थिक विकास की दर से कम है अथवा अधिक। इस प्रकार आर्थिक विकास का प्रारम्भिक प्रतीक राष्ट्रीय आय का बढ़ना है।
विकास केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तनों का कुल योग है। वह एक बहुमुखी प्रक्रिया है; जिसके अन्तर्गत केवल मौद्रिक आय ही नहीं बढ़ती बल्कि वास्तविक आदतों, शिक्षा और जनस्वास्थ्य में परिवर्तन तथा लोगों को आर्थिक अवकाश भी मिलता है। वास्तव में, सुखी जीवन को निर्धारित करने वाली समस्त सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होना चाहिए।
आजादी के बाद भारत सरकार ने जो औद्योगिक नीति बनायी उसका लक्ष्य तेज औद्योगीकरण के द्वारा देश का आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास से देश की प्रत्येक जाति का विकास हुआ है। सम्पूर्ण भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आये हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों ने न केवल अनेक व्यवसायों को अपनाया वरन् अपना आर्थिक विकास भी किया है।

मूल शब्दः राष्ट्रीय आय, आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास

अध्ययन का उद्देश्य
1. हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है?
2. हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जातियों में परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं?
3. हरिद्वार जनपद में अनुसूचित जातियों में आर्थिक विकास हुआ है अथवा नहीं?

अध्ययन पद्धति
शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध–पत्र के लिए जनपद हरिद्वार की 50 व्यस्क ग्रामीण महिलाओं के साक्षात्कार के द्वारा सूचनायें एकत्रित की हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए कृषि योग्य भूमि, ऋण की स्थिति, परम्परागत व्यवसाय, बचत तथा विलासिता सम्बन्धी सामान के उपयोग से सम्बन्धित जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

आंकड़ों के स्रोत
प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों (पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं लेखों आदि) तथा प्राथमिक स्रोतों का भी प्रयोग किया गया है।

प्रस्तावना
मानव तत्त्व का केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षिक, चहुँमुखी विकास की आवश्यकता है, तभी आदर्श विश्व का सृजन संभव है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब अपनी व्यक्तिगत आर्थिक दशा का उन्नयन करने के साथ–साथ राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोत्तरी करें। साथ ही साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि समाज में रहने वाले अन्य वर्गों का विकास भी साथ–साथ होता चले। हमने आर्थिक विकास के दौर मे जिनको बहुत पीछे छोड़ दिया है या जो बीच के रास्ते में छूट गये हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना है। मानव तत्त्व और आर्थिक तभी संभव है जबकि विषमता की खाई ज्यादा चौड़ी न हो।[1]

आर्थिक विकास की प्रक्रिया हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवसंरचनात्मक विकास करना, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास तथा विपणन जैसी द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं का विकास शामिल है।[2]
आर्थिक विकास का अर्थ है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, पिछडी हुई आर्थिक संरचना में सतत परिवर्तन, जनता का उच्चतर जीवन स्तर उनकी मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों में गुणात्मक परिवर्तन देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा जनता का चहुमुखी विकास करना।[3]
आर्थिक विकास लाखों लोगों का लक्ष्य एवं उनकी महत्वाकांक्षा बन गया है। किन्तु विकास की इस प्रक्रिया को समझना अत्यन्त कठिन है। आर्थिक विकास की इस प्रक्रिया के द्वारा कोई समुदाय अपने आपको आर्थिक समृद्धि के नीचे स्तर से ऊँचे स्तर पर ले जाता है। आर्थिक प्रगति किसी समाज के उस विकास को स्पष्ट करती है, जिसके अन्तर्गत वह समाज उत्पादन के नये और अच्छे तरीकों का प्रयोग करता है तथा मानव कुशलता के विकास और साधनों के अधिक अच्छे प्रयोग के द्वारा उत्पादन स्तर में वृद्धि करता है। आर्थिक विकास को स्वयं एक लक्ष्य नहीं माना जा सकता बल्कि वह कुछ वांछनीय उद्देश्यों की प्राप्ति का केवल एक साधन मात्र है। देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने को आर्थिक विकास का प्रतीक माना जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि आर्थिक विकास का उचित मानदण्ड होना चाहिए। अतः आर्थिक विकास या तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के विचार पर आधारित है। यद्यपि राष्ट्रीय आय दृष्टिकोण में काफी वैज्ञानिक सत्य पाया जाता है; किन्तु फिर भी आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण को अपनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में आर्थिक विकास की प्रक्रिया के क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया है। उनके अनुसार, "यह केवल मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं तक ही

सीमित नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध जीवन की सामाजिक दशाओं में सुधार के साथ भी होना चाहिए।"[4]

भारतीय समाज के सन्दर्भ में आर्थिक विकास न्याय एवं वितरणात्मक न्याय के अभाव में कभी पूर्ण नहीं हो सकता।[5] इस प्रकार आर्थिक विकास एक ऐसी व्यापक, आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी देश के द्वारा अपने समस्त आर्थिक संसाधनों का प्रयोग निरन्तर परिष्कृत रूप में अपनी जनता के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु किया जाता है।

सारणी संख्या 1: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं के पास कृषि योग्य भूमि की स्थिति का वर्गीकरण

कृषि योग्य भूमि (बीघा में)	हरिजन (चमार)		बाल्मिकी		जुलाहा (हिन्दू)		कुल उत्तरदाता	
	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0
01 से 10 तक	07	28.0	01	5.6	02	28.6	10	20.0
11 से 25 तक	03	12.0	00	0.0	00	0.0	03	6.0
26 से 50 तक	01	4.0	00	0.0	00	0.0	01	2.0
51 से अधिक	00	0.0	00	0.0	00	0.0	00	0.0
नहीं है	14	56.0	17	94.0	0.5	71.4	36	72.0
योग	25	50.0	18	36.0	07	14.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि हरिजन 07 (28.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 01 (5.6 प्रतिशत) एवं जुलाहा 02 (28.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के पास 01 से 10 बीघा तक कृषि योग्य भूमि है। हरिजन 03 (12.0 प्रतिशत), बाल्मिकी एवं जुलाहा शून्य प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 11 से 25 बीघा तक कृषि योग्य भूमि है। हरिजन 01 (4.0 प्रतिशत), बाल्मिकी एवं जुलाहा शून्य प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 26 से 50 बीघा तक कृषि योग्य भूमि है। हरिजन, बाल्मिकी एवं जुलाहा शून्य प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास 51 बीघा से अधिक कृषि योग्य भूमि है।

जबकि हरिजन 14 (56.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 17 (94.4 प्रतिशत) एवं जुलाहा 05 (71.4 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं हैं।

सारणी संख्या 2: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं पर ऋण की स्थिति का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं पर ऋण (रूपयों में)	हरिजन (चमार)		बाल्मिकी		जुलाहा (हिन्दू)		कुल उत्तरदाता	
	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0
10000 से 50000 तक	11	44.0	08	44.4	03	42.9	22	44.0
50001 से 100000 तक	05	20.0	05	27.8	02	28.5	12	24.0
100001 से अधिक	05	20.0	02	11.1	01	14.3	08	16.0
ऋण नहीं हैं	04	16.0	03	16.7	01	14.3	08	16.0
योग	25	50.0	18	36.0	07	14.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि हरिजन 11 (44.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 08 (44.4 प्रतिशत) एवं जुलाहा 03 (42.9 प्रतिशत) उत्तरदाताओं पर 10000 से 50000 रूपये तक का ऋण है। हरिजन 05 (20.0) प्रतिशत), बाल्मिकी 05 (27.8 प्रतिशत) एवं जुलाहा 02 (28.5 प्रतिशत) उत्तरदाताओं पर 50001 से 100000 रूपये तक का ऋण है। हरिजन 05 (20.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 02 (11.1 प्रतिशत) एवं जुलाहा 01 (14.3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं पर 100001 रूपये से अधिक ऋण है, जबकि हरिजन 04 (16.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 03 (16.7 प्रतिशत) एवं जुलाहा 01 (14.3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं पर किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। कुल 50 उत्तरदाताओं में से 42 (84.0 प्रतिशत) उत्तरदाताओं पर ऋण है तथा 08 (16.0 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे हैं जिन पर कोई ऋण नहीं है।

सारणी संख्या 3: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का परम्परागत व्यवसाय परिवर्तित करने का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	हरिजन (चमार)		बाल्मिकी		जुलाहा (हिन्दू)		कुल उत्तरदाता	
	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0
हाँ	17	68.0	14	77.8	05	71.4	36	72.0
नहीं	08	32.0	04	22.2	02	28.6	14	28.0
योग	25	50.0	18	36.0	07	14.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि हरिजन 17 (68.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 14 (77.8 प्रतिशत) तथा जुलाहा 05 (71.4 प्रतिशत) उत्तरदाता अपने परम्परागत व्यवसाय को परिवर्तित करना चाहते हैं। जबकि हरिजन 08 (32.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 04 (22.2 प्रतिशत) तथा जुलाहा 02 (28.6 प्रतिशत) उत्तरदाता अपने परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन नहीं चाहते हैं।

सारणी संख्या 4: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का बचत करने का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	हरिजन (चमार)		बाल्मिकी		जुलाहा (हिन्दू)		कुल उत्तरदाता	
	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0
हाँ	06	24.0	03	16.7	02	28.6	11	22.0
नहीं	19	76.0	15	83.3	05	71.4	39	78.0
योग	25	50.0	18	36.0	07	14.0	50	100.0

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि हरिजन 06 (24.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 03 (16.7 प्रतिशत) तथा जुलाहा 02 (28.6 प्रतिशत) उत्तरदाता बचत करते हैं। बचत न करने वाले उत्तरदाताओं में हरिजन 19 (76.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 15 (83.3 प्रतिशत) तथा जुलाहा 05 (71.4 प्रतिशत) उत्तरदाता है।

सारणी संख्या 5: जाति के आधार पर उत्तरदाताओं का विलासिता सम्बन्धी समान के उपयोग का वर्गीकरण

उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	हरिजन (चमार)		बाल्मिकी		जुलाहा (हिन्दू)		कुल उत्तरदाता	
	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0	आवृति	प्रति0
हाँ	07	28.0	15	27.8	02	28.6	14	28.0
नहीं	18	72.0	13	72.0	05	71.4	36	72.0
योग	25	50.0	18	36.0	07	14.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि विलासिता सम्बन्धी सामान का उपयोग करने वाले हरिजन 07 (28.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 05 (27. 8 प्रतिशत) तथा जुलाहा 02 (28.6 प्रतिशत) उत्तरदाता है। विलासिता सम्बन्धी सामान का उपयोग न करने वाले हरिजन 18 (72.0 प्रतिशत), बाल्मिकी 13 (72.2 प्रतिशत) तथा जुलाहा 05 (71.4 प्रतिशत) है।

निष्कर्ष

इस परिवर्तन के युग में अनुसूचित जातियाँ भी समाज में हो रहे परिवर्तनों और विकास से अछूती नहीं रही हैं। वह भी अपने परम्परागत व्यवसाय में परिवर्तन, आय में वृद्धि, विलासिता के सामान का उपयोग तथा बचत कर रही हैं। किन्तु साथ–ही–साथ निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग ऐसा भी है जो निरन्तर ऋण ग्रस्तता में फँसता जा रहा है।

अध्ययन के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि अनुसूचित जातियों ने परिवर्तित व्यवसाय के रूप में शासकीय सेवा, अशासकीय सेवा, वकालत, चिकित्सा, इन्जीनियरिंग आदि को अपनाया है। कुछ उत्तरदाता ऐसे भी मिले जो परम्परागत व्यवसाय के साथ–साथ अन्य व्यवसायों को भी कर रहे हैं। जिस कारण उनकी आय में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं और वे विलासिता सम्बन्धी सामानों (कलर टी०वी०, डी०वी०डी०, फ्रीज, कूलर, एयर कन्डीशनर, मोटर कार, पक्का मकान, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाप इत्यादि) का उपयोग कर रहे हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में निरन्तर वृद्धि तो हो रही है किन्तु धीमी गति से। तीव्रता से आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए शिक्षा तथा आय के स्तर में वृद्धि होना आवश्यक है। साथ ही साथ सरकार को अनुसूचित जातियों के लोगों को रोजगारोन्मुख कार्यक्रम अथवा विशेष भर्ती अभियान चलानें चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों के लोगों की आय के स्तर में वृद्धि हो और उन्हें ऋण ग्रस्तता से मुक्ति मिल सके।

संदर्भ सूची

1. वाजपेयी, ए०डी०एन० एवं शुक्ल, ज०प्र० (2012): गांधी का आर्थिक चिन्तन, कालेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ 52
2. पन्त, डी०सी० (2015): भारत में ग्रामीण विकास, कालेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ 12
3. वाजपेयी, ए०डी०एन० एवं शुक्ल, ज०प्र० (2012): गांधी का आर्थिक चिन्तन, कालेज बुक डिपो, जयपुर, पृष्ठ 55
4. शर्मा, हरिश्चन्द्र एवं आर०एन० सिंह (1997): भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ 203
5. पंवार, मिनाक्षी (2013): पंचायती राज और ग्रामीण विकास, राधा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ 51